राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर उपस्थित।

आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री राजीव शुक्ला उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद की ओर से <u>आवेदक / अभिय</u>ुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के सबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को आरोपी शकील खां की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दप्रस पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस आदेश द्वारा उक्त आवेदनपत्र का निराकरण किया जा रहा है।

<u>आवेदक / अभि</u>युक्त शकील की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि आवेदक गोहद का स्थाई निवासी है उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। <u>आवेदक / अभि</u>युक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है। पूर्व में न तो ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत और न ही निराकृत होना दर्शाया है। इसी आधार पर <u>आवेदक / आरोपी</u> को जमानत दिये जाने की प्रार्थना की है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

आवेदक / आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अधिक बल दिया है कि पुलिस ने जो आपराधिक विवरण प्रस्तुत किया है उसमें किसी एक प्रकरण क्रमांक है तथा एक अन्य जो अज्ञात में था मिथ्या रूप से आरोपी न मिलने के कारण आवेदक / अभियुक्त के नाम पर दर्शा दिया है। आवेदक / आरोपी के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उसका परिवार नष्ट होने के कगार पर है। तथा लंबे समय से न्यायिक निरोध में है।

यह सही है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिर्पोट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध लेख करायी गयी है। <u>आवेदक / अभियु</u>क्त पर मिथ्या प्रकरण केवल मात्र संदेह के आधार पर दर्ज किये जाने का आधार लिया। <u>आवेदक / अभिय</u>ुक्त 19 वर्षीय

नवयुवक दर्शाया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्टैट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्त तीस हजार रुपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र निम्न आशय का प्रस्तुत करे तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

- 1. यह कि विचारण के दौरान प्रत्यके पेशी पर उपस्थित रहेगा।
- 2. जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेगा।
- 3. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का प्रकरण वापिस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार भेजा जावे।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद